न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 84/2019(2019/00170)

1. हरनाथ पुत्र श्री हरचन्द उर्फ चन्दा जाति मीणा निवासी रात्या(घटियाली) तहसील सावर जिला अजमेर।
2. सांराज पुत्र श्री हरचन्द उर्फ चन्दा जाति मीणा निवासी रात्या(घटियाली) तहसील सावर जिला अजमेर।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. रामदेव पुत्र श्री लालू जाति मीणा
2. रामरतन पुत्र श्री रामदेव जाति मीणा
3. रतीराम पुत्र श्री रामदेव जाति मीणा
4. श्रीमति चकोली पत्नि श्री रामदेव जाति मीणा
5. श्रीमति शीला पत्नि श्री रामदेव जाति मीणा
6. श्रीमति फांरी पत्नि श्री रतीराम जाति मीणा
   समस्त जाति मीणा निवासीगण रात्या(घटियाली) तहसील सावर जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, सावर जिला अजमेर।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–1. श्री हेमराज कानावत– वकील प्राथी
2. श्री रामअवतार मीणा–वकील अप्रार्थी

–:आदेश:–

दिनांक–4.4.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक चाही गई। निम्न वर्णित आराजीयात वाके ग्राम घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1099–1482	4576/6019	0.31	वा0 3 जाव 3
	5053	0.18	बीड
	5057	0.18	वा0 उत्तम
	5058	0.28	वा0 1
	5059	0.51	वा0 उत्तम

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाद वर्णित आराजीयात मे खाता संख्या 1099 में स्थित आराजी खसरा नम्बर 4576/6019 रकबा 0.31 हैक्टर चाही 3 प्रार्थी संख्या 1 हरनाथ की आवंटन शुदा निजी आराजी है जिसका राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में प्रार्थी न0 1 हरनाथ के बतौर खातेदार काश्तकार अंकन हो रखी है। एवम् वाद वर्णित आराजीयात में खाता नं० 1087 में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के पिता हरचन्द उर्फ चन्दा पुत्र लालू मीणा निवासी राता की खातेदारी की आराजीयात है । खातेदार प्रार्थीगण के पिता का दिनांक 23.12.2016 को एवं प्रार्थीगण की माता गलकू देवी का दिनांक 29.05.2019 को स्वर्गवास हो चुका है। इस प्रकार वाद वर्णित आराजीयात पर प्रार्थीगण का संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। वाद वर्णित आराजीयात खाता संख्या 1087 में स्थित आराजीयात प्रार्थीगण के मृतक पिता हरचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार अंकन हो रखा है। खातेदार हरचन्द एवं उनकी पत्नि गलकू देवी का स्वर्गवास हो चुका है जिनके एकमात्र वारिसान प्रार्थीगण ही है। वाद वर्णित आराजीयात पर मौके पर भौतिक रूप से प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है जिससे प्रार्थीगण बतौर विरासत मृतक हरचन्द के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम अंकित करते हुए जमाबन्दी मे इन्द्राज दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है जिससे वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अप्रार्थीगण का वाद वर्णित आराजीयात से कोई सम्बन्ध सरोकार हक अधिकार नहीं है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण लाठी की ताकत पर प्रार्थीगण को कमजोर एवं असहाय समझकर वाद वर्णित आराजीयात पर जबरन अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे बाधा एवं अवरोध उत्पन्न करने के दुराशय से अप्रार्थीगण ने आराजी . खसरा नम्बर 4576/6019 एवम उसके समीपस्थ प्रार्थीगण के पिता चन्द्रा उर्फ हरचन्द की रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनाक 12.06.69 से खरीदशुदा आराजी में दिनांक 08.07.2019 को जबरन ज्वार की फसल काश्त करने का प्रयास करने लग गये जिससे अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित एवम आवश्यक है जिससे वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अप्रार्थीगण का वाद वर्णित आराजीयात एवम प्रार्थीगण के पिता द्वारा खरीदशुदा आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं होते हुए भी प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी को जबरन कब्जा कर हड़प करने पर आमादा हो रहे है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने दिनाक 08.07.2019 को खेत में जबरन कब्जा करने की नियति से प्रार्थीगण के साथ गम्भीर मारपीट की जिसका मुकदमा नम्बर 90/19 पुलिस थाना सावर में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 323, 341, 447 भा० दं० सं0 का पंजीबद्ध हुआ है जो कि जेर अनुसन्धान चल रहा है। उसके बावजूद अप्रार्थीगण ने दिनांक 15.07.2019 को वाद वर्णित आराजीयात एवं प्रार्थीगण के पिता चन्द्रा उर्फ हरचन्द की खरीदशुदा आराजी में अनाधिकृत प्रवेश कर कब्जा करने की धमकीया दी है जिससे अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है जिसस वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है। यदि अप्रार्थीगण दुराशय की भावना से एवं आपराधिक कृत्य करते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात तथा प्रार्थीगण के पिता चन्द्रा उर्फ हरचन्द की खरीदशुदा आराजीयात में जबरन कब्जा करने के प्रयास के कृत्य में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण का काफी नापूर्तियुक्त क्षति उठानी पड़गी एव प्रार्थीगण को स्वयं की खातेदारी, पिता की खातेदारी तथा अपने पिता की खरीदशुदा आराजीयात के कब्जे काश्त से बेदखल एवं वंचित होना पड़ेगा एवं अनेकानेक वाद कार्यवाहीया का सामना करना पड़गा जिसकी धन से पूर्ति नही की जा सकेगी एवम प्रार्थीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में आराजी के उपभोग हेतु प्राप्त हक अधिकारो से वंचित होना पड़गा जिससे वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण का अन्तरिम व्यादेश बावत सुना गया। प्रकरण मे कानूनी बिन्दू निहित होने से अप्रार्थी संख्या ... को जरिये अन्तरिम व्यादेश से पाबन्द किया गया। कि प्रार्थीगण के उपयोग, उपभोग, कब्जे काश्त में बाधा व्यवधान न करे। तथा अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किये। ... को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब नहीं दिये जाने पर जवाब स्वतः बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 पैराकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
... (अजमेर)

Scanned with CamScanner

सरकार द्वारा जवाब मे प्रस्तुत किया कि पत्रावली में संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपी अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदारी भूमि ही प्रकरण मे सरकार औपचारिक पक्षकार है। राजहित प्रभावित नहीं होना है सरकार का जवाब आवश्यक नहीं है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहे। उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का सन्तुलन भी पाया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या 2 मे वर्णित आराजीयात एवं प्रार्थीगण के पिता हरचन्द उर्फ चन्द्रा की रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 12.06.69 से खरीदशुदा आराजी के उपयोग, उपभोग, कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा एवं अवरोध उत्पन्न नहीं करे। खर्चा फरीकन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:35:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner